

न्यायालय उपखंड अधिकारी मुसावर ①

पैदाशीन अधिकारी

मुनिंद व यादव (RAS)

प्रकाश सं. - 3/21

दफ्तर दिनांक 11-1-21

लखनसिंह पुत्र प्रभू जाते गूजर निवासी हौम बघा खुर्द
बहसील मुसावर ----- प्राची

बनाम

राजस्थान सरकार जाते लहसीलरा प्रकाश
----- 'प्राची'

प्राचीन-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA

अधिवक्ता - श्री काजल बाबू - प्राची

दिनांक 19.3.21

प्राचीन-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का संक्षिप्त

विवरण इस प्रकार है कि	51/2	77/1	88/1	173/2
	1.13	1.16	1.14	15कि०
185/2	189/1	190/2	207	250/1
0.15कि०	0.15कि०	02कि०	1.15कि०	0.10कि०
265/1	269	272/1	277	320/2
0.10कि०	1.13	0.10	1.04	0.12
359/1	489/344	बड़े गाँव हौम बघा खुर्द जिले प्राची		
1.13	2.00			

1/2 हिले का खोलेगा व्यक्त रूप एवं कांति आशकी है
जिसमें प्रकृत विभाग द्वारा नये खसरा नाम बनते समय
प्राची का नाम लखनाछिंड के लगान पर लखनाछिंड दर्ज कर
दिया जाये प्राची के समस्त दस्तावेजों जैसे राशन कार्ड,
मापशाह कार्ड, पहचान पत्र, आद्या कार्ड के अन्तर्गत निपरीने
जिले प्राची उम्मेद कारकीकार में निहित रूपे हिले की
कारकी के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं का पा रहा है।
अतः प्राची का नाम राजस्थान हिन्दू जनकरी में लखनाछिंड


के लगान लखनाछिंड इकट्ठे कर अंतिम करीये अनेकी
राज्य प्रान्त करने की कृपा से।

७

हमने वकील प्राची व परोमा शर्मा को सुना जाया, वकील
 प्राची द्वारा प्राचीना पत्र में अंकित लघुओं को दौहरामा जाया
 तथा परोमा शर्मा द्वारा मौवा पत्र में अंकित लघुओं को
 दौहरामा जाया साथ ही प्राची द्वारा पत्रवली में प्रस्तुत डल्लेवैजी
 रिमांड जैसे जमाबन्दी सं. 2075-2078, मिलान क्षेत्र कार्ड,
 जमाबन्दी सं. 2072-2075, 2074-2074, अन्वय कार्ड
 भागशाह कार्ड, जन भाग्य कार्ड, राशन कार्ड, एवं मौवा पत्र नामक
 तहसील का डल्लेवै के अन्वय में एवं उनके अन्वय में
 हम प्राचीना पत्र अन्वय द्वारा 136 LRA स्वीकार
 किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्राचीना पत्र प्राची शर्मा किया जाया तहसील
 मुख्यालय को निर्देशित किया जाया है प्राची की जमाबन्दी
 दौकरवाडा खुर्द उनके हिले की आराजीघार में राजस्व
 रिमांड जमाबन्दी में प्राची का नाम लारवनीसिंह के स्थान
 लारवनीसिंह दुखल कर अंकित किया जावे !

निर्णय आज दिनांक 19.3.21 को लिखा जाकर
 सरे राजस्व सुनाया जाया !


 मुनि देव यादव
 उपखण्ड अधिकारी
 भुसावर (भरतपुर)